

51

CP. 207

13/19

आपुद्धा मामाकाय सागर  
से दि 29-9-14 अत  
प्रकाशक  
29/9/14

न्यायालय श्रीमान राजस्व बोर्ड ग्वालियर कैम्प, सागर

R-3415-III/14

- १- विजय कुमार गुप्ता आयु ५० वर्ष { दोनों बात्मज
- २- हरि नारायण आयु ५० वर्ष {

स्व० श्री मुन्नालाल गुप्ता, दोनों निवासी

सदर बाजार, सागर (म०प्र०)

आवेदकणा। रिखीजन कर्ता 708  
गण


॥ बनाम ॥

हरिबोम केशखानी वलद कुलकेशोर केशखानी

निवासी सदर बाजार, सागर (म०प्र०) == आवेदक ।

प्रति पुनरीक्षण कर्ता

B.O.R.  
25 SEP 2014



पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०मु०रा०ध०

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार सागर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक २१-जा।७० वर्ष १२-१३ नाम पदाकार हरिबोम केशखानी -बनाम- विजय कुमार व अन्य मे पारित आदेश दिनांक २।७।०१४ से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत है -

सौदाप्त तथ्य एवं आधार

१- यहकि, हरिबोम केशखानी ने तहसीलदार के समक्ष ग्राम बहेरिया साहनी के ख०न० १७।३ रकबा २-०६ हे० पर विजय कुमार वर्गेरह से कवजा दिखाये जाने वावत् आवेदन पेश किया था, जिसका नोटिस प्राप्त होने पर विजय कुमार व अन्य की ओर से न्यायालय के समक्ष पेश हुए ।

२- यहकि, वास्तविक मालिक काकिज वादग्रस्त भूमि का विजय कुमार एवं अन्य उसके परिवार के सदस्य है किन्तु दवर्गो राज कुमार व श्री कौत केशखानी ने फजी रूप से फजी वादमी सड़ा करके एवं मृत व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को सड़ा करके

116  
26-09-14


1-10-14

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3415-तीन/14

जिला- सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिप्रेत आदि के हस्ताक्षर
2.03.16	<p>आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक को समय समय पर आवाज लगवाई गई । कोई उपस्थित नहीं । अतः वह लगभग 10 पेशियों से अनुपस्थित होने के कारण तथा प्रकरण में रुचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

